

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबादाई

अ. आदेश 20 निराम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 353/2024
वादपत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

1 सतोख सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख सा. अमरपुराजालू तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
2 जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख सा. अमरपुराजालू तह संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

1 अनमोल सिंह पुत्र जसविन्द्रसिंह जाति जटसिख सा. अमरपुराजालू तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
2 त्रिलोक सिंह पुत्र जसविन्द्रसिंह जाति जटसिख सा. अमरपुराजालू तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
3 तहसीलदार राजस्व, संगरिया

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 4.12.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्तु इनाफिसाल कतई करके हमारे
बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदायला पेश हाकर हुकम दिया जाता है एवं
तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है -

चक 13 एमजेडी के खाता सं. 50/61 में कुल 1.796 है. की कब्जा काश्त:-

जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरचरणसिंह 1.290 है. अनमोलसिंह 0.169 है. त्रिलोकसिंह 0.169 है. सतोखसिंह 0.168 है. नि
जसविन्द्रसिंह जाति जटसिख सा. अमरपुराजालू की कब्जा काश्त:-

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
132/176	47	7.14/0.253 है. प्र 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है. गै.मु. खाला 16/1/0.228 है 16/2/0.025 है. गै.मु. खाला 17/0.253 है. 24/0.177 है. 25/1/0.164 है 25/2/0.013 है. गै.मु. खाला
133/176	46	21/0.177 है. कुल 1.796 है. नहरी मय गै.मु.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया को
अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.
संगरिया के पत्र क्रमांक:- प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/3454 दिनांक 09.09.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम
डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों
का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज..........मुब्लिक..........बाबत.....100/-.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदे
सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक..........को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 4.12.2024 को खुले न्यायालय में

जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया